भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2383
19 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात के स्क्रैप का पुनर्चक्रण

2383. श्री सुभाष बराला:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री सदानंद महालू शेट तानवडे:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईएएफ (इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस) स्क्रैप की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्क्रैप संग्रहण बाजार को औपचारिक रूप देने और स्क्रैप डीलरों को सहकारी समितियों में संगठित करने हेतु क्या पहल की जा रही हैं;
(ख) पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की स्थापना और ईएलवी (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल) स्क्रैप की संगठित आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण (ईएएफ/आईएफ) का ऊर्जा उपयोग और संसाधन दक्षता पर क्या प्रभाव होता है, और यह ब्लास्ट फर्नेस-आधारित उत्पादन की तुलना में किस हद तक अधिक सक्षम है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारत में स्क्रैप संग्रहण को सुगम बनाने एवं प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय रूपरेखा प्रदान करती है।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किए हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के सुरक्षित

जारी...2/-

प्रबंधन हेतु एक रूपरेखा स्थापित करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत वाहन निर्माताओं को वाहन के प्रकार तथा पुनर्प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

iii. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य जहाजों के सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित एवं प्रोत्साहित करना है।

iv. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अनुपयुक्त एवं प्रदूषणकारी वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई है।

इस नीति के अंतर्गत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिनांक 23.09.2021 को जीएसआर 653 (ई) अधिसूचित किया है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम, 2021 का प्रावधान है। इन नियमों को जीएसआर 695 (ई) दिनांक 13.09.2022, जीएसआर 212 (ई) दिनांक 15.03.2024 तथा जीएसआर 700 (ई) दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

आरवीएसएफ की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, सरकारें राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2025–26 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आरवीएसएफ स्थापित करने तथा इन सुविधाओं में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(ग): स्क्रैप से इस्पात निर्माण इसकी उपलब्धता एवं लागत विश्लेषण पर निर्भर करता है तथा यह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) एवं इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) मार्गों के माध्यम से अधिक ऊर्जा एवं संसाधन-दक्ष होता है। स्क्रैप के उपयोग से लौह अयस्क, कोकिंग कोल के कुछ हिस्से तथा चूना पत्थर की उसकी गुणवत्ता एवं सांद्रता के आधार पर बचत होती है। स्क्रैप आधारित इस्पात निर्माण ब्लास्ट फर्नेस–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीएफ-बीओएफ) मार्ग में भी ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता में सुधार करता है; तथापि बीएफ-बीओएफ में स्क्रैप की इनपुट मात्रा सामान्यतः 10–15 प्रतिशत तक सीमित रहती है।

******